भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4235
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एमएसपी बढ़ाने के मानदंड

4235. श्री राजा राम सिंहः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार धान के एमएसपी में केवल 3%, मूंग के लिए मात्र 1% और तुअर के लिए 5% की मामूली वृद्धि को उचित ठहरा सकती है जबकि किसान संघ लंबे समय से आवश्यक फसलों में पर्याप्त वृद्धि की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या रागी (14%) और ज्वार (10%), जिनकी खेती सीमित है, के लिए एमएसपी में अधिक वृद्धि निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया गया, जबकि कपास, तुअर और मूंग जैसी फसलों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिन पर पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों की आजीविका निर्भर है;

(ग) क्या सरकार ने खरीद, फसल योजना और किसान आय स्थिरता पर इस तरह के मूल्य निर्धारण के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी हितधारकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन एमएसपी दरों को अंतिम रूप देने से पहले किसानों के साथ कोई परामर्श किया गया था और यदि हाँ, तो उनकी प्रमुख मांगों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 14 खरीफ फसलों सहित 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। सीएसीपी, एमएसपी पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों और किसानों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श भी करता है।

सीएसीपी, एमएसपी की सिफारिश करते समय, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का सुसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर-राष्ट्रीय कीमतों, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले संभावित महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है।

एमएसपी में वृद्धि होने से किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है। चालू वर्ष के दौरान, खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2024-25 (जुलाई से जून) के दौरान एमएसपी फसलों की खरीद और एमएसपी मूल्य

कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
1,175	3.33

******